न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 17 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट — रेस्पोडेंटगण

श्रीमती केसरी पुत्री जालुराम वगै. बनाम सोनाराम पुत्र रामाराम वगै.

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम वास्ते निर्णय

उपस्थिति

1. वकील श्री वेद नृप राणजीओत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:– 05.04.2022

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी श्रीमती दुगी के जीवनकाल तक उसे नहीं हो सकी। श्रीमती दुगी का बद में देहावसान हो गया। कि पूर्व में उपरोक्त वाद पत्र श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के यहां विचाराधीन था तत्पश्चात उपरोक्त वाद पत्र उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के यहां एवं उसके पश्चात सहायक जिलाधीश धोरीमन्ना के यहां स्थानान्तरित हो गया ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में दिनांक 21.03.2017 को निर्णय करने की जानकारी अपीलकर्तागण एवं उसके अधिवक्ता को नहीं हो सकी। चूंकि पूरे वर्ष में ही राजस्व अभियान एवं लोक अदालतें लगती रही। इस कारण अपीलकर्ता यही सोचते रहे कि उनके प्रकरण में अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। अपीलकर्ता महिला, अनपढ एवं गांव की गंवार घरेलु महिलाए है जिससे यह अपेक्षा भी नहीं की जा सकती कि उसे इस तथ्य के बारे में जानकारी रखनी चाहिऐ। चूंकि दिनांक 13.12.2017 को सर्वप्रथम दुगी के पति धन्नाराम द्वारा न्यायालय में जाकर इस तथ्य का पता करवाया गया कि इस मुकदमे का क्या हुआ है जिस पर इस प्रकरण की दिसम्बर 2017 को जानकारी हुई उपरोक्त जानकारी होने पर अपीलकर्ता दुगी के पति द्वारा इसकी नकले मांगी गई जो दिनांक 14.12.2017 को मिली है तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है। अपील अन्दर मियाद शुमार करने के आदेश प्रदान करावे। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRD 1998 Page 319
RRD 2002 Page 94
RRD 2002 Page 37
RRD 2002 Page 147

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का जवाब पेश करते हुए उसमें अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित की गई। हस्तगत प्रकरण में प्रारंभ से ही अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री सम्पतराज बोथरा रहे जिनके द्वारा सहायक कलक्टर गुड़ामालानी व धोरीमन्ना में इनके द्वारा पैरवी की गई। अपीलकर्ता की ओर से उनके अधिवक्ता श्री सम्पतराज बोथरा की ओर से अपीलाधीन न्यायालय में लिखित बहस, उनके साथी अधिवक्ता श्री महावीर जैन द्वारा बीफ्र पेश की गई। उनकी उपस्थिति में निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिसकी जानकारी अपीलांटगण व उनके अधिवक्ता को प्रारंभ से रही है। अपीलकर्ता को निर्णय की जानकारी होने से अपीलांट संख्या 01 केसरी के द्वारा दिनांक 28.03.2017 को ही नकल तैयार कर नकल जारी की गई। उसके बाद अपीलकर्ता के द्वारा अपीलाधीन प्रकरण की प्रतिलिपी दिनांक 30.03.2017 को फिर प्राप्त की गई। जिससे स्पष्ट है कि उस समय अपीलकर्ता को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हो गई थी। अपीलकर्ता के द्वारा नकल प्राप्त होने व निर्णय की जानकारी होने के बाद भी जानबुझकर परीसीमा अवधि के भीतर अपील पेश नहीं गई है। अपीलांटगण ने हस्तगत अपील स्थापित कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना निर्णय व तथ्यों का सही विश्लेषण नहीं कर तथ्यों को छुपाते हुए अपील के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदन विधि विरूद्ध पेश किया है। हस्तगत अपील में तथ्यों को तोड़मरोड़कर अपील को ज्ञान की तिथि से अन्दरम्याद लाने का प्रयास किया जो वाद कि बहुलता बढाने के लिए व रेस्पोडेंट को अपने हक–हकुको से महरूम रखने के लिए अपील पेश की गई। अपीलकर्ता ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2014-15(Supp.) Page 441
RRT 2018-19(Supp.) Page 218

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

RRT 2010(2) Page 801
RRT 2015(1) Page 232
RRT 2016-17(Supp.) Page 158
RRT 2009-10(Supp.) Page 202
RRT 2017(1) Page 711
RRT 2009-10(Supp.) SC Page 535
RRT 2014(1) SC Page 154
RRT 2017(1) Page 117

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 28.03.2017 व 30.03.2017 को अपीलांट कंसरी द्वारा मातहत अदालत से चाही गई तथा अपीलांट संख्या 01 के पति धन्नाराम द्वारा प्राप्त की गई। जबकि अपील के साथ पेश धारा 05 के प्रार्थना–पत्र में दुगी के पति धन्नाराम का अधीनस्थ न्यायालय में जाकर सर्वप्रथम दिनांक 13.12.2017 को अपीलाधीन निर्णय के बारे में तथ्यों का पता करवाना अंकित किया गया। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने धारा 05 के प्रार्थना–पत्र का लिखित जवाब पेश करने के साथ नकल रजिस्टर की प्रमाणित प्रति पेश की गई जिसमें अपीलांट द्वारा दिनांक 28.03.2017 व 30.03.2017 को निर्णय की नकले प्राप्त करना स्पष्ट प्रतिवेदित होता है। अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील अकारण विलम्ब से पेश की गई है हस्तगत अपील को सुदीर्घ अवधि तकरीबन 09 माह 16 दिवस बाद पेश किया गया है जिसका कोई विधि सम्मत कारण नहीं बताया गया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होते है।

RRT 2016-17(Supp.) Page 158 (भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के प्रार्थना–पत्र में उक्त आधार पूर्णतया झूठा अंकित किया है इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत अपीलें मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने में कारित देरी सद्भाविक नहीं कहीं जा सकती एवं देरी के आधार झूठे, निराधार व बनावटी हैं इसलिए 10 माह की अत्यधिक देरी को क्षम्य नहीं किया जा सकता है। यह सही है कि परिसीमा अधिनियम के सिद्धान्त उदार तरीके से काम में लिए जाने चाहिए परन्तु इसका मतलब यह नहीं होता है कि कोई पक्षकार अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रह

राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

कर मुकदमें को सजगता से लड़े और दूसरे व्यक्ति के हक में पैदा हुए अधिकारों को हनन करने का मौका सिर्फ इस आधार पर दिया जाए कि उसे ज्ञान नहीं था।)

RRT 2014(1) Page 154 (अपील पेश करने में 04 दिन का विलम्ब परिसीमा अवधि की जानकारी की दिनांक से प्रारम्भ होगी स्वीकार योग्य नहीं है–परिसीमा का कानून पूर्ण कठोरता से लागू करना चाहिये साम्य आधारों पर भी परिसीमा काल विस्तार करने हेतु न्यायालयक को शक्ति प्राप्त नहीं है।)

RRT 2017(1) RAJASTHAN HIGH COURT Page 117(अपील पेश करने में 2344 दिनों का विलम्ब मुवक्किल की निष्क्रियता और फालतू दना देगा विलम्ब स्पष्ट करने हेतु पर्याप्त कारण नहीं निर्णीत प्रर्थाना–पत्र व अपील खारिज होने योग्य है)

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील मियाद ठहरती है।

लिहाजा अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। अपीलांट की अपील को इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 05.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर